संख्या:-15 /2026/I/1435782/38-4002(099)/6/2021

प्रेषक,

अजित प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2026

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ-124/सम्प्रेक्षा/प्र0म0आ0यो0-ग्रा0(अनु0-13, 81 एवं 83)/197/2026-27, दिनांक-04.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.-691/Finance/2026-27, दिनांक 23.07.2026 के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति मद) के अन्तर्गत आवास निर्माण/प्रशासनिक मद में निर्गत केन्द्रांश रुपये 20788.32 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रूपये 13858.88 लाख, कुल धनराशि रूपये 34647.20 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतःआपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति मद में भारत सरकार से प्राप्त प्रशासनिक मद सहित आवास निर्माण हेतु निर्गत केन्द्रांश रुपये 20788.32 लाख (रू0 दो अरब सात करोड़ अठ्ठासी लाख बत्तीस हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रूपये 13858.88 लाख (रूपये एक अरब अड़तीस करोड़ अठ्ठावन लाख अठ्ठासी हजार मात्र), अर्थात् कुल धनराशि रूपये 34647.20 लाख (रूपये तीन अरब छियालीस करोड़ सैंतालीस लाख बीस हजार मात्र), वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध:-

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(4) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफार्म से PFMS/IFMIS के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातें में अन्तरित की जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.-691/Finance/2026-27, दिनांक 23.07.2026 में अंकित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) धनराशि के आहरण के संबंध में मित्तव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(9) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रुप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रेतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(12) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(13) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(14) SNA-SPARSH प्रणाली पर ऑनबोर्ड की गयी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने संबंधी भारत सरकार के पत्र दिनांक-13 जुलाई, 2023 एवं तत्क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेशों संख्या-1/2025/बी-1-156/दस-2024-25, दिनांक-21 जनवरी, 2025, संख्या-3/2025/बी-1-201/दस-2025, दिनांक-30 जनवरी, 2025, संख्या-8/2025/बी-1-640/दस-2025, दिनांक-10 जुलाई, 2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025, दिनांक-26 सितम्बर, 2025 द्वारा निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-**E-2-77-X-2026-27,** दिनांक-13.08.2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अजित प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांकः- तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव,मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(5) निदेशक(आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(6) अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, जवाहर,भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(10) बजट प्रकोष्ठ अनुभाग,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/वित्त संसाधन(के0स0)अनुभाग।
(12) स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन सेक्शन-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(13) श्री चन्द्रिका प्रसाद, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र,
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in